न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
12/2020	2020/00021	06.07.2020	24.02.2021

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़

– प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी अम्बावली तहसील छोटीसादडी

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत

उपस्थिति :–
श्री पैरोकार सरकार रसद
श्री कमल सिंह गुर्जर

–: आदेश :–

दिनांक :–24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 24.06.2020 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी, श्री मनोज कुमार गरासिया प्रवर्तन निरीक्षक, श्री भगवानदास DC, जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से घरेलु LPG गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण के रोकथाम हेतु छोटीसादडी प्रतापगढ़ रोड पर स्थित गांव अम्बावली में स्थित सुरेन्द्र सिंह/लाल सिंह की दुकान पर पहुंचे। मौके पर सुरेन्द्र सिंह/लाल सिंह उपस्थित मिले। मौके पर रूबरू मोतबिरान श्री जमनालाल/भगवानलाल जाति मीणा निवासी छाणखुर्द एवं श्री सुमित कुमावत/श्यामलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी की उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 9 खाली घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) पाये गये। जिससे अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों के भण्डारण व बिकी की पुष्टि होती है। मौके पर गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिकी संबंधी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिकी किये जाने पर मौके पर मैसर्स टांक एचपी गैस सेन्टर ऐजेन्सी छोटीसादडी के प्रतिनिधि द्वारा हैगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पाई गई।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	कंपनी	S.R. No.	मानक भार (किग्रा)	कुल वजन(किग्रा)	टेयर वजन(किग्रा)	शुद्ध LPG (किग्रा)
1	HPCL	256539	14.2	15.7	15.7	Nil
2	HPCL	997558	14.2	15.6	15.6	Nil
3	HPCL	969028	14.2	17.0	17.0	Nil
4	HPCL	410223	14.2	15.5	15.5	Nil
5	HPCL	68259	14.2	16.3	16.3	Nil
6	HPCL	103233	14.2	15.4	15.4	Nil
7	HPCL	988066	14.2	15.6	15.6	Nil
8	HPCL	493598	14.2	15.7	15.7	Nil
9	Reliance	88302	14.2	15.4	15.4	Nil

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाये जाने पर उक्त 09 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त कर वजह सबुत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु धर्मपाल/कल्याण सिंह चौहान निवासी चरलिया पोस्ट कारूण्डा तहसील छोटीसादडी हाल प्रतिनिधि मैसर्स टांक एचपी गैस सेन्टर गैस ऐजेन्सी छोटीसादडी को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबुत संलग्न है। फर्द चेकिंग मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार सुरेन्द्र सिंह/लाल सिंह द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण का कार्य कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 ए.सी. की अवहेलना की है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 9 खाली घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सूचना पत्र जारी किये गये अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जिस पर अप्रार्थी स्वयं एवं अधिवक्ता श्री कमलसिंह गुर्जर के साथ उपस्थित हो प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2020 को प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया गया।

1. यह कि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण व बिकी का कार्य नहीं किया जा रहा था। अप्रार्थी की गांव अम्बावली में किराने की दुकान है तथा गांव अम्बावली के मजदुर लोग जो नरेगा में मजदुरी करने सुबह 6 से 1 बजे के समय में काम करने के लिए नरेगा साईट पर गये हुए थे तथा इसी दिन गैस एजेन्सी की गाडी गैस वितरण हेतु गांव अम्बावली में आती है जिस पर गांव के मजदुर लोग अपने स्वयं की टंकी को अप्रार्थी की दुकान के बाहर रखकर गैस ऐजेन्सी की गाडी आने पर टंकी लेने के इंतजार में मजदुरी करने चले गये थे इसी बीच रसद विभाग के अधिकारी, कर्मचारी ने आकर उक्त गैस टंकियां ले गये जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है ना ही अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई सेवादोष या अपराध कारित किया है। अप्रार्थी गरीब होकर पांव से विकलांग है जो गैस की टंकी उठाने में समर्थ नहीं है। अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह पांव से विकलांग होने के कारण तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई अन्य व्यवसाय या कार्य नहीं कर सकता है तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए छोटी सी किराने व पर्चुनी सामान की दुकान लगाकर बैठा हुआ है तथा उक्त दुकान से बडी मुश्किल से अपना व परिवार का भरण पोषण कर गुजारा कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में रसद

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

विभाग के जांच अधिकारी द्वारा बिना किसी निष्पक्ष जांच किये आनन फानन में टंकीया जप्ब कर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर नोटिस जारी किया है जो पूर्णरूप से असंवैधानिक होकर गलत है।

2. यह कि अप्रार्थी निर्दोष है जिसने किसी भी प्रकार का कोई गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं बिकी का कार्य नहीं किया है एवं ना ही प्रदाय वितरण एवं विनियमन आदेश 200 के क्लॉज 3 एससी के अवहेलना की है एवं ना ही आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी गरीब विकलांग व्यक्ति है जिसे उक्त कार्यवाही में निराधार तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच किये बिना झुंठा फसाया है जिससे अप्रार्थी को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह निर्दोष है उसने किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया है उसे माफ फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमाते हुए अप्रार्थी से जब्त खाली गैस सिलेण्डर जो अन्य उपभोक्ताओं के हैं उन्हें लौटाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली दिनांक 22.02.2021 को वास्ते बहस हेतु प्रस्तुत हुई बहस अन्तिम उभयपक्ष सूनी गई दौराने बहस पैरोकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के मौके पर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाना, तथा मौके पर रखे गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व बिकी की किये जाने का संदेह व्युत्पन्न होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के यहां से जब्त गैस सिलेडरों को राजसात करने का आदेश फरमाते अप्रार्थी के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही के निर्देश प्रदान करावें।

इसी प्रकम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कमल सिंह गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए तथा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये गए कि अप्रार्थी के यहाँ रखे समस्त गैस सिलेण्डर विविध उपभोक्ताओं के होकर LPG गैस सप्लाई गाडी के इन्तजार मे पड़े हुए थे क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता खेतीहर किसान और मजदुर होकर अधिकांश समय कृषि एवं नरेगाा मजदुरी कार्य में व्यस्त रहते हैं जिन्हें सप्लाई गाड़ी के आवागमन की युक्ति–युक्त सूचना नहीं रहती है जिसके चलते उक्त उपभोक्ता अप्रार्थी के विशवास ओर विकलांग होने के कारण सदैव एक ही जगर पर मिलने के कारण उक्त गैस सिलेण्डर मय रिफिल डायरी के साथ रखे हुए थे उसी समय जिला रसद अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा बिना किसी युक्ति–युक्त कारण एवं जांच के अप्रार्थी के पास धरोहर स्वरूप बिना किया दुर्भावना से रखे हुए थे तथा अप्रार्थी को उक्त सिलेण्डर के इस प्रकार रखा जाना विधिक रूप से अवैधानिक होने संबंधि कानुन की जानकारी नहीं थी।

इसलिए अप्रार्थी के इस कृत्य को तथ्य की भूल मानते हुए क्षमा प्रदान करावें तथा अप्रार्थी के तात्विक कब्जे से प्राप्त सम्सत खाली सिलेण्डर जो अन्य उपभोक्ताओं हैं उन्हें लौटाये जाने का आदेश प्रदान करावें अन्य उक्त उपभोक्ताओं को मुझ विकलांग अप्रार्थी को जब्त गैस सिलेण्डरों की एवज में अन्यथा भुगतान करना पड़ेगा जो मुझ अप्रार्थी/गरीब के लिए संभव नहीं होगा। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में जब्त गैस सिलेण्डर धारकों की डायरी छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गई जो रिकार्ड पत्रावली पर रखी गई।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6(A) आवश्यक वस्तु अधिनियम

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

1955 दिनांक 02.07.2020, जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2020, फर्द चैकिंग मेमों दिनांक 24.06.2020 तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गैस सिलेण्डर धारकों की गैस कनेक्शन डारियों छाया प्रतियों के साथ साथ प्रकरण में लागु प्रचलित विधियों का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की किराने दुकान से जब्त समस्त LPG *गैस टंकियां फर्द चैकिंग एवं जब्ती दिनांक 24.06.2020 को खाली पाया जाना एवं जवाब प्रार्थना पत्र 6(A) अप्रार्थी के संतोषप्रद होने तथा मौके पर गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व बिकी की पुष्टि नहीं होने से अप्रार्थी के विकलांग एवं आर्थिक कमजोर सवंर्ग का होने तथा अप्रार्थी द्वारा किया गया अपकृत्य तथ्य की भूल कारक होने की स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध नर्मरूख अपनाते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त गैस सिलेण्डर धारकों के गैर कनेक्शन डायरियों* क्रमशः 1. उपभोक्ता क्रमांक :– 716256 (श्रीमती नेतलदेवी मोग्या पत्नि श्री देवीलाल मोग्या निवासी अम्बावली) 2. उपभोक्ता क्रमांक :– 721656 (श्रीमती शाहजहाँ खान पत्नि श्री जाहीद खां निवासी अम्बावली) 3. उपभोक्ता क्रमांक :–709971 (श्री सुमेर खान पुत्र श्री गली खां निवासी अम्बावली) 4. उपभोक्ता क्रमांक :– 721112 (श्रीमती जयीला खान पत्नि श्री आबिद खान निवासी अम्बावली) 5. उपभोक्ता क्रमांक :– 719188 (श्रीमती गीताबाई पत्नि श्री पुरनमल मोग्या निवासी अम्बावली) 6. उपभोक्ता क्रमांक :– 724042 (श्रीमती मांगी बाई पत्नि श्री भैरूलाल निवासी अम्बावली) 8. उपभोक्ता क्रमांक :– 721127 (श्रीमती चांदीबाई पत्नि श्री फुलचंद जायसवाल निवासी अम्बावली) 9. उपभोक्ता क्रमांक :– 714687 (श्रीताज मोहम्मद पुत्र श्री फकीर मोहम्मद खां निवासी अम्बावली) *के अनुसार उक्त* LPG *गैस सिलेण्डरों पर तात्विक कब्जा भले ही अप्रार्थी के पास रहा हो किन्तु उक्त* LPG *गैस सिलेण्डर के वास्तविक कब्जेधारी मालिक विविध मजुदर किसान होने से उक्त गैस सिलेण्डर न्यायहित में* LPG *गैस सिलेण्डर के वास्तविक कब्जेधारी मालिकों को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है।*

अतः प्रार्थना पत्र 6(A) EC ACT 1955 प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त उक्त LPG गैस सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गैस सिलेण्डर कार्ड धारकों को युक्ति–युक्त जांच एवं पुष्टि उपरान्त लौटाए जावें तथा अप्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कृत्य की पुनरावर्ती नहीं की जावे अन्यथा उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (मुहर)

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner